

नाम न्यायालय
 केस संख्या

अधिवक्ता
 विरारत (पत्र)

136/2018

पुर्नित पत्र



क्रम संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

दि

24/05/18 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
 पत्रावली गत आदेश की पालना में
 दिनांक 24/05/18 को पेश हुए तथ्यों के
 पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।


24/05/18

अधिवक्ता
 विरारत (पत्र)

नि: पूजा (पत्र) कार्यवाही

लीकेंव सिद्ध

विरारत



नि: एसाकार (पत्र)

विस्थापित

जगदीश



पत्रावली राजस्व लोक इन्डाल्टन
 में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारण
 को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर
 उपलब्ध इलाकेजों विधि के सुसंगत
 प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
 काही का डुरुली इन्डाज घोषणा
 खातेदारी से संबंधित है।
 प्रार्थना का निवेदन रहा कि ख.नं.
 1723/2227, 1724/2228, 1740/2241
 1741/2242, 1742/2243, 1751, 1758
 1760, 1761, 1762, 1763, 1771, 1772
 1773, 1774 दिना 15 रकबा 12.96 हेक्टर
 के हिस्सा ५५ पर प्रार्थना का कहना
 है, जिसकी गिरदारी संवत् 2009,
 2012-15, 2016 लगायत 2033 में
 दर्ज है यह भी कि प्रार्थना के बुजुर्ग
 कालू पुत्र जवाहर के पक्ष में दिनांक
 27.12.81 के पत्रावली खर्चों की तैयार
 किया गया, जो काउपज में संलग्न
 है। उक्त में कालू पुत्र जवाहर का

Handwritten signature or mark at the bottom right.

फर्द अहकाम

कमलादेवी को

बनाम V/S पैप के वर को

उपखण्ड अधिकारी
विसाटनगर (जयपुर) राज.

136/2015

प्राथमिक

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

नाम दर्ज बिपे जोग की स्वीकृति है। यह भी कि बकाता सं. 153 मे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पंजी जारी किया हुआ है। प्राथमिकता के उक्त इलाके का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ, जिसके बावजूद पाडी ने हलगत काड डुरुएती घोषणा कोलेदारी पेश किया है। मूल प्रकरण में दोनो पक्षों की साक्ष्य उपस्थित है। अतः प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण तक दोनो पक्षों के तर्कों पर मूल आस्थापी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुलगा खाला सं. 157 गुम धोली को ही किला 15 रकबा 12-96 हैबेथर के हिस्सा 44 जानी 3-24 हैबेथर के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की अकार्यक्षिति खोपे रखे।
निर्णय मज्जे इनाम सुगापा. 0111



(Signature)
21/5/18
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विसाटनगर (जयपुर)